



सत्यमेव जयते

IN-UK29277097802555X

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttarakhand

250

e-Stamp

卷之三

Certificate No.
Certificate Issued Date
Account Reference
Unique Doc. Reference
Purchased by
Description of Document
Property Description
Consideration Price (Rs.)

First Party
Second Party
Stamp Duty Paid By
Stamp Duty Amount(Rs.)

: IN-UK29277097802555X
: 30-Oct-2025 05:37 PM
: NONACC (SV)/ uk1283104/ NARENDRA NAGAR/ UK-TG
: SUBIN-UKUK128310464331974790584X
: Triveni Construction co
: Article 4 Affidavit
:
:
:
:
0
(Zero)
:
Sanjay Kumar Bhatt
:
Triveni Construction co
:
Triveni Construction co
:
50
(Fifty only)

सत्यमव जयते



K.B.
SANJAY BADOLA
Stamp Vendor
allash Gate, Muni Ki Reti T.G.

Please write or type below this line

IN-IUK29277097802555X

For TRIVENI CONSTRUCTION CO.


Authorised Signatory / Partner

[Signature]

Statutory Alert:

- Statutory Alert:**

 1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
 2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
 3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

भवन किरायानामा अनुबन्ध—पत्र

मैं कि संजय कुमार भट्ट पुत्र स्वरूप श्री गोपाल कृष्ण भट्ट निवासी— वार्ड नं.— 06, सेक्टर नं.— 03, गली नं.—02, चौदह बीघा, मुनिकीरेती, जिला— टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड — 249 137।

प्रथम पक्ष / स्वामी

एवम्

मैं कि हेमन्त पोखरियाल पार्टनर ट्रिवेणी कंस्ट्रक्शन कं0, कैलास गेट, मुनिकीरेती जिला— टिहरी गढ़वाल।

द्वितीय पक्ष / किरायेदार

विदित हो कि उपरोक्त प्रथम पक्ष का भवन जो कि ग्राम— श्यामपुर, निकट— बस स्टैंड देवप्रयाग, जिला— टिहरी गढ़वाल में स्थित है, तथा प्रथम पक्ष के स्वामित्व व कब्जे में है मैं से 05 कमरे द्वितीय पक्ष द्वारा अपनी फर्म की लेवर को रखने हेतु किराये में लेना निम्न लिखित तथ्यों के आधार पर लेना स्वीकार किया है :—

1. यह कि उक्त 05 कमरों का पूर्ण स्वामित्व प्रथम पक्ष का ही रहेगा।
2. यह कि उक्त 05 कमरे प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को 11 माह अर्थात् 01.11.2025 से 30.09.2026 तक के अनुबन्ध पर किराये के लिए दे दिये गये हैं।
3. यह कि यह 11 माह तक ही वैध रहेगा तथा दोनों पक्षों की रजामन्दी होने पर प्रति 11 माह बाद नवीनीकृत किया जाना अनिवार्य होगा।
4. यह कि प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष की आपसी रजामन्दी से उक्त 05 कमरों का किराया रूपया 30,000.00 (रूपये तीस हजार मात्र) प्रतिमाह तय किया गया है।
5. यह कि द्वितीय पक्ष उक्त कमरों पर किसी भी प्रकार का अवैध कार्य व अवैध गतिविधि नहीं करेगा जो कि विधि के विरुद्ध हो, यदि करता है तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी।
6. यह कि द्वितीय पक्ष किराया ना देने व मकान में कोई ऐसा कार्य करने जिससे कि कोई व्यवधान उत्पन्न हो, ऐसा पाये जाने पर किराया अनुबन्ध तुरन्त निरस्त समझा जायेगा।
7. यह कि यदि प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष से उक्त कमरों को खाली करवाना चाहे तो तीन माह पूर्व सूचित करेगा। इसी तरह यदि द्वितीय पक्ष यदि उक्त कमरों को खाली करना चाहे तो तीन माह पूर्व प्रथम पक्ष को सूचित करेगा, ऐसी स्थिति में द्वितीय पक्ष सौहार्दपूर्ण वातावरण में विना किसी वाद-विवाद के सम्पत्ति को खाली कर देगा तथा किसी प्रकार हर्जाने की मांग नहीं करेगा।
8. यह कि इस अनुबन्ध—पत्र की शर्तों से दोनों पक्षों के उत्तराधिकारी व स्थानापन्न व्यक्ति भी वाधित रहेंगे।

अतः उक्त अनुबन्ध—पत्र आज दिनांक 30.10.2025 को दोनों पक्षों की आपसी सहमति, स्वस्थ होशो—हवास एवं स्वस्थ मनमस्तिष्ठ से लिखकर तथा अपने—अपने हस्ताक्षर कर निष्पादित कर दिया गया है ताकि वक्त—समय पर काम आ सके।

ह0 द्वितीय पक्ष

For Rama Ballabh Bhattacharya CONSTRUCTION CO.

अवाहन

Authorised Signatory/ Partner

[Signature]

ATTESTED

[Signature]
RB BHATT
Advocate & Notary
Jarendra Kumar TG (U.K.)

ह0 प्रथम पक्ष

[Signature]

गवाह: ① चंद्रश राव रामलाल गोट, गुरुग्राम

② चंद्रश रामलाल गोट, गुरुग्राम

